1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P.No. 329/2026, dt. 12.03.2026, Sk. Daud vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–329/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. शेख दाउद वल्द स्व0 शेख सेराजुल उम्र करीब 52 वर्ष
ग्राम–बड़ा चन्दमोहन, थाना–कुण्डवा चैनपुर, जिला–पूर्वी चम्पारण ....आवेदक ।
बनाम
बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

12.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त शेख दाउद की ओर से कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या–181/2025, धारा–189(2), 126(2), 115(2), 329(4), 109, 352/3(5) बी.एन.एस.के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 25.09.2025 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक मेराजुद्दीन अंसारी का कथन है कि दिनांक 28.06.2025 को उसके ही गांव के शेख सफाउल्लाह, शेख सनाउल्लाह, शेख समीउल्लाह, शेख क्यूम, शेख दाउद, शेख तालिब सभी एक जुट होकर उसके घर में घुस के मारपीट, गाली–गलौज किया एवं घर का सभी सामान इधर–उधर फेंक दिया। सभी मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है, जिससे वह जख्मी हो गया, सर में लोहे के रड से मारा तो उसका सर फट गया , उसके जख्मी होने के बाद सभी व्यक्ति वहॉ से भाग गया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या– 220/2025 दर्ज, जिसमें वह जमानत पर है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास

दर्ज नहीं है। तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 25.09.2025 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा आरोपित किया गया हैं । आवेदक के विरूद्ध मारपीट का विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के द्वारा इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं किया गया है, गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण उसे परेशान करने के लिए यह मामला लाया गया है। धारा– 109 बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। धारा– 109 बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में आकर्षित नहीं होता है। आवेदक के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया है तथा अपराध का संज्ञान भी लिया जा चुका है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदक के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक को घर में घुसकर लोहा के रड से सर पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी के साथ सूचक का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें चिकित्सक की राय में सूचक के सर पर 4"x1/4"x1/4" का कटा हुआ जख्म होना पाया गया है एवं एन.सी.सी.टी प्रतिवेदन में जख्म को सामान्य होना बताया गया है, जिसे धारदार वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का होना अंकित किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 10 में आवेदक के विरूद्ध कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या– 220/2025 दर्ज होना अंकित किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक दिनांक 25.09.2025 से कारा में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त शेख दाउद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 12.03.2026